









कार्यालय:राजिव. प्राविधिक शिक्षा परिषदउत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राशिप/परिषद/सम्बद्धता/2022/10733

लखनऊ दिनांक: 15/12/2022

कार्यालय द्वारा:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कमिटी काउन्सिल ऑफ इंजिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा प्राविधिक स्तर 2022-23 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: अक्टूबर 2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा स्तर 2022-23 हेतु आर्सेल नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मनों पर विचार करते हुए स्तर 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अन्तर्गत में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा स्तर 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अर्थात् पाठ्यक्रम एवं उसमें अर्सेल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 4043-SHANTI SUDAMA COLLEGE OF PHARMACY			
क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा स्तर 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा स्तर 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद दफ्तर 1992 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, सिंसेस्टर विनियमावली-2018 तथा समय-समय पर निर्गमित शासनपत्रों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इली० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्यक्रमों हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्यवीर्य पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक उपाध्यक्ष से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त उपाध्यक्षों से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनपत्रों जभावी होगी, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। प्रोक्त निर्धारण समिति द्वारा यदि स्तर 2022-23 हेतु नीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो नीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आर्सेल शर्तों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गमित शासनपत्रों के अनुसार विहीन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/उपसंहारों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशक तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में या, न्यायलय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश इस्लामाद द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवेदनिका काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हे प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आकार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐड्रेसलिस्ट सूचि भूमि, स्टाफ, सचिव-सभा, उपकरण, प्राप्ति किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित संगठित पठनक्रम को कठमे कठमे हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पठनक्रम के संवाहन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था के जोचक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साधन-सम्पदा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०/परिषद के मालकानुसार उपलब्ध नहीं पाये जाते हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनजनक कार्यवाही की जाएगी।

  
(ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०)

सचिव

पू०सं०, प्राशिक्ष/परिषद/सम्बद्धता/2022/10734-10769

दिनांक: 16/12/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SHANTI SUDAMA COLLEGE OF PHARMACY

  
(ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०)

सचिव







कि संस्था उपरोक्त का उद्देश्य किसी अन्य कार्य के लिए का नहीं है। संस्था द्वारा की सम्पत्तियां समर्पण किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

- ✓ इस प्रस्ताव/प्रतिवेदन/निवेदन/समिति/और/उपसमिति/सीएम/आर/का सम्बद्ध विषय/समाप्त/विनिष्कर्ष/2023 के प्रतिअनुसूचक परिषद की मांग का अपने कार्यवाही/धरना/और/कार्यवाही की परिषद की पीठा के सम्बन्ध में कि/परिषद के अधिकार में नहीं।
- ✓ संस्था के अंतर्गत नवीन निर्माण के दौरान यदि संस्था में भूमि/धरना/सम्पत्तियां/उत्पन्न/हैं/अथ/सम्बन्धित/अनुसूचक/परिषद/के/सम्बन्धित/कार्यवाही/का/परिषद/की/मांग/का/सम्बन्धित/समाप्त/का/की/जायेगी।
- ✓ सम्बन्धित/कार्यवाही/का/अनुसूचक/परिषद/के/अंतर्गत/कार्यवाही/के/अंतर्गत/कार्यवाही/की/विधि/में/विनिष्कर्ष/अनुसूचक/परिषद/की/जायेगी।



(अजीत कुमार सिंह)

सचिव

पु0स0- प्राशिक्षणपरिषद सम्बद्धता:2023/12059082-12991219

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिवेदन:-

संस्थानागर/निदेशक/SHANTI SUDAMA COLLEGE OF PHARMACY



(अजीत कुमार सिंह)

सचिव